

हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	--

49/25 पत्रावली पैसा हुई। वकील डाय पत्र उपस्थित।
 पत्रावली में प्राचीन पत्र अन्वगति द्वारा 50 एच 151 का
 रिकॉर्ड होने से पत्रावली में कार्यवाही स्थगित किये जाने
 से पत्रावली को स्थगित रूप से देवी में चलाना उचित
 नहीं है। वादग्रस्त धाराजिगत बाबत प्रकरण मानकीय न्यायालय
 ADJ सिविल में जेरकार है वहाँ से निर्णय होने में समय
 भ्रम की पूर्ण संभावना है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण की
 पत्रावली को लम्बित रक्की जाना उचित नहीं है। इसलिए
 पत्रावली में स्थगित रूप से कार्यवाही को शूष की जाती है।
 वादी के आवेदन पर पत्रावली को पुनः सुनवाई में
 लिया जाने का आदेश दिया जाता है वकील डाय
 पत्र उपस्थित है।

जज अशोक
 हुंमला
 जिला-चित्तौड़गढ़

